न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 37/24 GCMS NO 2024/51

1. चेतराम उर्फ पप्पू पुत्र स्व0लक्ष्मण
2. महेश पुत्र स्व0लक्ष्मण
3. दिनेश पुत्र स्व0लक्ष्मण
4. छिगा उर्फ मुकेश पुत्र स्व0लक्ष्मण
5. दामोदर पुत्र स्व0 रामखिलाडी
6. छोटेलाल पुत्र स्व0रामखिलाडी
7. श्याम पुत्र स्व0कलुआ
8. हुलासी पुत्र स्व0कलुआ
9. ओमी उर्फ ओमप्रकाश पुत्र स्व0कलुआ
10. रूरमल पुत्र स्व0कलुआ समस्त जातियान माली निवासीयान मालीपाडा,केशवपुरा हिण्डौन सिटी जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. जिला कलेक्टर जिला करौली
2. तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी
3. अधिशासी अभियंता सिचाई विभाग करौली
4. सहायक अभियंता सिचाई विभाग हिण्डौन सिटी
5. नगर परिषद हिण्डौन जरिये आयुक्त नगर परिषद हिण्डौन सिटी

(अपील विरुद्व मु0नं0 74/23 निर्णय व डिक्री दिनांक 9.4.24 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री संजय शर्मा
अभिभाषक रैस्पो0 पैरोकार सरकार, श्री साहिद अली

दिनांक 6.10.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 9.4.24 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार [illegible] में वादी/अपीलांट ने दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेध [illegible] का पेश किया कि आराजी खसरा न0 3869 रकबा 8 विस्वा, 3872 रकबा [illegible] रकबा 6 विस्वा, 3874 रकबा 8 विस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 25 विस्वा वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में [illegible] है। जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:26:22 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

साबिक रिकार्ड मे वादीगण के बुजुर्ग रूग्गा पुत्र भूरा जाति माली के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की रही है। जो जमाबंदी सम्वत 2008 से 11 मे दर्ज है तथा इसी अनुसार खसरा गिरदावरी मे भी वादी के बुजुर्ग कलुआ पुत्र रूग्गा माली के नाम दर्ज रही है। इस प्रकार भूमि पर वादीगण के बुजुर्ग काबिज चले आ रहे है। उक्त भूमि कभी भी पेटा तालाबी नही रही है बल्कि काश्तकारी की भूमि रही है। मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2008 से 2011 भूमि खातेदारी वादीगण के बुजुर्ग रूग्गा पुत्र भूरा माली के नाम दर्ज रिकार्ड है। भू प्रबंध विभाग द्वारा गुपचुप तरीके से अनाधिकृत रूप से वादीगण की कब्जा काश्त की भूमि की खातेदारी को समाप्त कर सिचाई विभाग के नाम दर्ज कर दी। जिससे वादीगण के हक हकूक तलफी होते है। इस प्रकार भू प्रबंध द्वारा की गई कार्यवाही नल एण्ड बोईड है। अतः उक्त भूमि की खातेदारी सिचाई विभाग के नाम से हजफ की जाकर वादीगण के नाम दर्ज की जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का पेश किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीसीपी स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांटगण/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि साबिक खसरा न0 3869,3872,3873,3874 हाल खसरा न0 6600,6601 को तालाब पेटे की भूमि मानते हुए धारा 16 आर टी एक्ट का बार मानकर माननीय उच्च न्यायालय की रिट संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम राज.सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 2.8.04 द्वारा तालाब पेटा की भूमि का खातेदारी अधिकार किसी को भी नही दिया जाना मानकर दावा खारिज करने मे कानूनी भूल की है। जबकि धारा 16 आर टी एक्ट के परन्तुक मे स्पष्ट प्रोवीजन दे रखा है कि राज्य सरकार शाषकीय राजपत्र मे अधिसूचना के द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि ऐसी कोई भूमि जिससे अस्थाई रूप से कृषि की जाती है उक्त कृषि के लिए उपलब्ध रहेगी और तदुपरान्त उक्त भूमि खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के निमित्त उपलब्ध होगी। तहसीलदार हिण्डौन ने अपने फैसले दिनांक 23.9.88 मु0न0 320/88 अन्तर्गत धारा 91 एल आर एक्ट सरकार बनाम कलुआ माली हिण्डौन के मुकदमे मे विवादित भूमि बाबत राज्य सरकार के परिपत्र संख्या प.6(39) राज-14/85/17 जयपुर दिनांक 3.8.87 का हवाला देकर इस शासकीय परिपत्र के मुताबिक वादीगण के पिता अप्रार्थी को विवादित आराजी मे बतौर ... किया जा सकता दर्ज किया है। तथा धारा 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही ड्रोप की गई तथा लगान वसूल करने के आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:26:22 IST
Reason: Self Attested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

दिये गये है। इस प्रकार उक्त प्रकरण मे धारा 16 आर टी एक्ट का कोई बार नही है। विवादित भूमि सम्वत 2008 से पूर्व अपीलांट/वादीगण के पूर्वज रूग्गा पुत्र घूडया माली की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि रही है। जिस पर अपीलांट/वादीगण रेस्पो0/प्रतिवादीगण की की जानकारी मे काश्त करते चले आ रहे है । यह भूमि कभी भी पानी के भराव मे नही रही। ना ही तालाबी पेटा की रही है तथा ना ही तालाब के पानी के भराव मे कोई अवरोध मे रही है। बल्कि जल भराव से काफी उचाई पर है और हमेशा से काश्तकारी की भूमि रही है। जिसका वादीगण/अपीलांट हर वर्ष लगान अदा करते चले आ रहे है। सम्वत 2013 मे भू प्रबंध विभाग ने गलत तरीके से अनाधिकृत रूप से वादीगण की खातेदारी को समाप्त करते हुए महकमा सिचाई विभाग के नाम दर्ज कर दी गई। जिस समय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू था जिस बात पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही कर कानूनी भूल की है। न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर करौली के मु0न0 7/13 निर्णय दिनांक 7.5.13 को उक्त विवादित भूमि बाबत वादीगण के पक्ष मे निर्णय पारित करते हुए मात्र विवादित भूमि की किस्म ही पेटा तालाबी बताई गई थी। तालाब के पानी के बहाव मे कोई अवरोध पैदा नही माना गया है तथा तहसीलदार द्वारा लगान लेना माना गया है। तहसीलदार हिण्डौन का निर्णय दिनांक 18.2.13 मिसल न0 24 विधि विरूद्व मानते हुए कोई विस्तृत निर्णय पारित होना माना है। जबकि विवादित भूमि जल भराव से काफी उचाई पर है। जिस बात पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही कर भारी कानूनी भूल की है। विवादित भूमि पर वादीगण का सम्वत 2012 से पूर्व काश्त करते चले आना तथा लगान अदा करने से वादीगण को बेदखल नही करने बाबत गैरखातेदार की हैसियत से काबिज होना तहसीलदार हिण्डौन द्वारा माना है तथा अपील संख्या 288 न्यायालय जिलाधीश सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 7.12.54 के द्वारा भी विवादित भूमि पर वादीगण का का कब्जा माना है। जिस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया विवादित भूमि को तालाब पेटा की मानकर धारा 16 का बार मानते हुए अब्दुल रहमान बनाम सरकार मुकदमे का हवाला देकर दावा खारिज करने मे कानूनी भूल की है। जबकि केवल विवादित भूमि की किस्म पेटा तालाबी है मौके पर कोई तालाब/जलभराव नही है। मुकदमे की मैरिट पर सुनवाई होनी चाहिए थी इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है। रेस्पो/प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी.का निर्णय करते समय अधिनस्थ न्यायालय को केवल वादीगण के वाद पत्र को देखना होता है । प्रतिवादी की प्लीडिंग को नही देखा जाता। ना ही प्रतिवादी ने प्रकरण मे अपना कोई जबाब दावा पेश किया है। वादीगण के वाद पत्र मे ऐसा कोई तथ्य अंकित नही है कि दावा अधिनस्थ न्यायालय मे चलने योग्य नही है। जबकि मुकदमे का मैरिट पर निस्तारण होना चाहिए था। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद पत्र खारिज करने मे कानूनी भूल की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरो पर गौर नही कर भारी कानूनी भूल की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.के आदेश का निरस्त किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmikant Meena
Date: 2026.04.16 15:26:22 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

जाकर उनवानी प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण करने के आदेश प्रदान किये जावे। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा काननी नजीरे पेश की गई।

रेस्पो0 के अधिवक्तागण ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि वादीगण/अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे गलत तथ्यो एवं आधारहीन दावा पेश किया गया था। क्योकि साबिक खसरा नम्बरो के नवीन खसरा न0 6600 व 6601 कुल किता 2 कुल रकबा 1.04 है0 भूमि कस्बा हिण्डौन मे सिचाई विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड है और हमेशा से ही तालाब पेटे की भूमि रही है। अपीलांट एवं उनके पूर्वजो का कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नही रहा है। उक्त भूमि तालाब पेटे की होने से जलप्रवाह,जलभराव जलमग्न जलनिकासी की भूमि रही है। जो हिण्डौन कस्बे के प्रसिद्व तालाब जल सेन के नाम से है और राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत नदी,तालाब पेटे, पोखर,जोहड आदि की खातेदारी अधिकार किसी को प्रदान नही किये जा सकते है। अपीलांट/वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा की भूमि तालाब पेटे की भूमि है जिस पर धारा 16 आर टी एक्ट का बार है। वादीगण /अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दावा सरकार के विरूद्व पेश किया गया था जिसे दायर करने से पूर्व वादीगण द्वारा धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक था जो अपीलांट/वादीगण द्वारा नही दिया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावे मे हाल खसरा न0 6600 रकबा 75 ऐयर , 6601 रकबा 29 ऐयर के बाबत खातेदारी घोषणा चाही गई है जबकि साबिक खसरा न0 3869 रकबा 8 विस्वा, 3872 रकबा 3 विस्वा, 3873 रकबा 6 विस्वा, 3874 रकबा 8 विस्वा कुल रकबा 25 विस्वा भूमि दावे मे दर्ज होना बताया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा तालाब पेट की भूमि को हडपने की गरज से पेश किया गया था। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि तहसीलदार द्वारा उक्त भूमि के बाबत धारा 91 की कार्यवाही समाप्त की गई है अपीलांट का यह कथन मिथ्या है सत्यता यह है कि तहसीलदार द्वारा समय समय पर अपीलांट/वादीगण को भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश दिये गये है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि विवादित आराज़ी उनके बुजुर्ग रूग्गा की खातेदारी मे रही है जबकि यह भूमि शुरू से ही तालाब पेटे की भूमि रही है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही तालाब पेटे की भूमि रही है जिस पर धारा 16 लागू होता है जिसके तहत नदी तालाब पेटे, पोखर ,जोहड जलनिवासी ,जलभराव ,जलस्त्रोत ,जलमग्न आदि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदा नही किये जा सकते है। इसके सबंध मे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे निर्णित कर इस प्रकार की समस्त भूमियो के खातेदारी अधिकार समाप्त कर पुनः उसीं स्थिति मे दर्ज करने के आदेश दिये गये है। इस प्रकार अपीलांट/वादीगण उक्त भूमि पर खातेदार अधिकार प्राप्त नही कर सकते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड एवं राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार की भूमियो हेतु समय समय पर जारी परिपत्रो का भली भॉति अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही अधीनाधीन निर्णय पारित किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत रूप से पारित की गई है जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by LaxmiKant Balot
Date: 2026.04.16 15:26:22 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया । अपीलांट का कथन रहा कि विवादित आराजीयात पूर्व मे उनके पुर्वज रूग्गा की खातेदारी मे दर्ज रही है। भू प्रबंध विभाग द्वारा अवैधानिक तरीके से वादीगण के बुजुर्गो की खातेदारी को समाप्त कर जाकर आराजी को सिचाई विभाग के नाम दर्ज किया गया है। सम्वत 2008 से 2011 की जमाबंदी मे खातेदार तो वादीगण के बुजुर्गान के नाम दर्ज है परन्तु जमाबंदी के कॉलम संख्या 8 मे भूमि की किस्म तालाब पेटा दर्ज है। चूकि सम्वत 2008 मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू नही था उस समय स्टेट का रिकार्ड था। जिसमे भी भूमि की किस्म तालाब पेटा दर्ज रिकार्ड है। माननीय उच्च न्यायालय की रिट पीटीशन संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सकार व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 2.8.04 के द्वारा नदी,तालाब पेटे,नाले, पोखर, जोहर,जलपाऐदान,जलनिकासी ,जलभराव, जलस्त्रोत ,जलमग्न आदि भूमि का अधिकारी किसी को नही दिये जाने का उल्लेख है तथा ऐसी भूमियो को वापिस करने के आदेश राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रदान किये गये है तथा यदि ऐसी भूमि किसी खातेदार के नाम दर्ज हो गई हो तो उनके खातेदारी अधिकार समाप्त कर दिये गये है। इस प्रकार विवादित आराजीयात शुरू से तालाब पेटे की भूमि रही है जिसके बाबत किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। विवादित आराजीयात वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे सिचाई विभाग के नाम दर्ज है एवं भूमि की किस्म तालाब पेटा दर्ज है। इसलिए वादीगण/अपीलांटगण को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड एवं राज्य सरकार के परिपत्रो का विधिवत रूप से अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी के मु0नं0 74/23 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 9.4.24 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 6.10.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:26:22 IST
Reason: SelfAttested